न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 147/2017 **दायरा दिनांक : 04.09.2017**

उनवान

1– जानकी पुत्री भूरया उर्फ माल्या, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– रूकमणी पुत्री भूरया उर्फ माल्या, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– ओम प्रकाश पुत्र हीरालाल, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– रामगोपाल पुत्र बिहारीलाल, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– घनश्याम पुत्र बिहारीलाल, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6– गजानन्द पुत्र बिहारीलाल, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7– सत्यनारायण पुत्र बिहारीलाल, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

8– चतरी बेवा रामनाथ, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

9– महावीर पुत्र रामनाथ, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

10– चन्द्र प्रकाश पुत्र रामनाथ, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

11– राधेश्याम पुत्र रामनाथ, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

12– हरिओम पुत्र रामनाथ, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

13– चौथमल पुत्र जगन्नाथ, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती कांती देवी पत्नी कन्हैया लाल, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– दीनदयाल पुत्र कन्हैया लाल, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– द्वारक्या बाई पुत्री कन्हैया लाल, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– राधिका पुत्री कन्हैया लाल, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– ममता पुत्री कन्हैया लाल, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6– जानकी बाई पत्नी प्रेमचन्द, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7– बलवीर पुत्र प्रेमचन्द, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

8– दीपक पुत्र प्रेमचन्द, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

9– पवन पुत्र प्रेमचन्द, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

10– रानी पुत्री प्रेमचन्द, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

11– कालू पुत्र कान्हा, जाति कलाल, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां

12– स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपस्थित – श्री दीनानाथ गालव एवं श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.02.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 103/2014 निर्णय दिनांक 01.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व दुरूस्ती इन्द्राज हेतु पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिस पर प्रार्थीगण अपीलांट का यह कथन है कि प्रार्थीगण व प्रतिवादी के पूर्वज एक ही थे उनके ग्राम बम्बोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां में जमाबंदी सम्वत 2024–27 में खसरा नम्बर 820 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 821 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 831 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1217 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1219 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 1368 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1369 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1370 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 8 कुल रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा थी जिसके अनुसार 1/5 हिस्सा नाथी बेवा भूरया का, 1/5 हिस्सा बजरंगा पुत्र गौरीशंकर का, तथा 1/5 हिस्सा हीरालाल, बिहारीलाल, रामनाथ व बेवा अमरी तथा 1/5 हिस्सा जगन्नाथ, छीतर पिसरान बाल्या का दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम काशीपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां में जमाबंदी सम्वत 2032–35 तक खसरा नम्बर 2/137 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा थी जिसमें नाथी का 1/5 हिस्सा, केसर बेवा बजरंगा, बजरंगा पुत्र गौरीशंकर का 1/5 हिस्सा, अमरी बेवा किशनलाल, हीरा, बिहारी, रामनाथ पिसरान किशनलाल का 1/5 हिस्सा, तथा जगन्नाथ, छीतरलाल का 1/5 हिस्सा व कान्हा पुत्र भैरूलाल का 1/5 हिस्सा दर्ज था । इसमें

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

नामान्तरकरण पंजिका संख्या 2031 से ग्राम बमोरीकलां का नामान्तरकरण कर मृतक किशनलाल के स्थान पर हीरा लाल, बिहारी व रामनाथ का 1/5 हिस्सा तथा मृतक बाला के स्थान पर जगन्नाथ, दीश्रतर लाल का 1/5 हिस्सा दर्ज किया गया । तत्पश्चात् भू प्रबन्ध विभाग में सम्वत 2044–63 तक उक्त आराजियात के ग्राम बमोरीकला के नये नम्बर डाले गये जिसमें खसरा नम्बर 820 का नया नम्बर 1144, खसरा नम्बर 821 का नया नम्बर 1145, खसरा नम्बर 831 का नया नम्बर 1147, खसरा नम्बर 1219 का नया नम्बर 1644, खसरा नम्बर 1217 का नया नम्बर 1646, खसरा नम्बर 1368 का नया नम्बर 1249, खसरा नम्बर 1369 व 1370 का नया नम्बर 2051 अंकित किये हैं। इसी प्रकार ग्राम काशीपुरा की खसरा नम्बर 2/137 का खसरा नम्बर 4 रकबा 2.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.12 हेक्टर जिसको गौरीशंकर की मृत्यु के बाद बदयांतिपूर्वक स्वर्गीय बजरंग लाल पुत्र गौरीशंकर ने अपने नाम अंकित करा लिया । उक्त आराजी पैतृक है तथा स्वयं का विभाजन चाहा है, घोषणा चाहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गुणावगुण पर प्रकरण को सुने, बिना जवाबदावा लिये निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा आलेखित आवेदन, दस्तावेजात व शपथ पत्रों का अवलोकन किये बिना ही, सरसरी तौर पर आराजियात के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारों के मध्य दो गांवों बम्बोरीकलां व काशीपुरा आराजी के सम्बन्ध में विवाद है । सैटलमेंट से पूर्व हमारे पूर्वजों का नाम आराजी में था । हमारा नाम विलोपित कर दिया इसलिए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब लिये खारिज कर दिया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । आर्डर 8 नियम 11 सी पी सी का जवाब नहीं देता है तो न्यायालय गुणावगुण पर निर्णय कर सकता है । जमाबंदी में अंकित नोट में दिनांक 24.03.1987 ए आर ओ के न्यायालय की पत्रावली तो चोरी हो गई जिसकी एफ आई आर दर्ज कराई है । खातेदार के कॉलम में पर्चा खतौनी में नाम काटे हैं । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि जिस आदेश को चैलेन्ज कर रहे हैं । वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी को बिना सुने निर्णय कैसे पारित कर दिया । धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निर्णय दिनांक 29.03.1982 का है । जमाबंदी में दावे का नोट लगा है ए आर ओ में इन्होंने इस आदेश को आज तक चैलेन्ज हीं नहीं किया है । ये ग्राम बम्बोरीकलां के निवासी ही नहीं है । अगर ग्राम बम्बोरीकलां के रहने वाले है तो अपने पक्ष में इन्होंने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया । दिनांक 29.03.1982 को इनके पूर्वज नहीं रहे तो आज कैसे ? 1982 से पूर्व से वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा काश्त है इसलिए इनका टी आई व बाद में दावा खारिज किया है । इनका कोई टाईटल नहीं है टी आई के लिये टाईटल ही नहीं है । सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी हमारे पक्ष में है । खातेदार के खिलाफ टी आई जारी नहीं की जा सकती । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2017 की आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि एडवोकेट श्री महेन्द्र सिंह द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किये जाने से बहस में हिस्सा लिये जाने की अनुमति नहीं दी गई, किन्तु मौखिक रूप से जो बात/तथ्य न्यायालय के ध्यान में लाये गये उससे सम्बन्धित पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.05.2017 को पेश होने हेतु निर्देशित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 17.05.2017 को पत्रावली केम्प कोर्ट जलोदा तेजाजी में पेश होना व वकील प्रार्थी की बहस सुनना अंकित किया गया है । दिनांक 10.05.2017 व दिनांक 17.05.2017 की आदेशिका में विरोधाभास है, जब बहस में एडवोकेट को हिस्सा लेने की अनुमति ही नहीं दी गई तो वकील प्रार्थी की बहस किस आधार पर सुनी गई । यह आदेशिका में स्पष्ट नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय की

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पत्रावली में भी सहायक जिलाधीश द्वितीय, बारां के निर्णय दिनांक 29.03.1982 की प्रमाणित प्रति भी सलंग्न नहीं पाई जाती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में क्या निर्णय किया गया था केवल मात्र निर्णय में इसका हवाला देना उचित नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त रिकार्ड पत्रावली पर लेकर उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण विधि सम्मत तरीके से करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.05.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा